

कार्यालय

मुख्य

अग्निशमन

अधिकारी,

लखनऊ।

संख्या: प-2177/2016/19278/lkw/Lucknow/1885/cfo

दिनांक: फरवरी 2, 2016

सेवा में,

**अधिकाारी अभियन्ता(भवन)
लखनऊ विकास प्राधिकरण
गोमतीनगर, लखनऊ।**

विषय:-

खसरा नं0-783,784 व 791 ग्राम-सरसवा, सुल्तानपुर रोड, चिनहट जिला-लखनऊ मे मैसर्स एम0आई0 बिल्डर्स प्रा0 लि0 द्वारा उक्त स्थल पर प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग भवन की प्रोजेक्शनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध मे।

कृपया अपने पत्र संख्या-02/एमएसजीजी/15-16 दिनांक- 14.12.2015(अधोहस्ताक्षरी कार्यालय प्राप्त दिनांक-14-2-2016) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जो उपरोक्त विषयक है।

उपरोक्त विषयक भवन मानचित्र का एन0बी0सी0-2005 एवं भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 के अनुसार अग्नि सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टिकोण से अग्निशमन अधिकारी, गोमतीनगर, द्वारा निरीक्षण/परीक्षण कराया गया जिनकी आख्या का परीशीलन किया गया निम्न तथ्य प्रकाश में आये:-।

भवन की संरचना:-

1- कुल भूखण्ड एरिया-	6691.45 वर्गमीटर।
● प्रस्तावित स्टीलट तल का कर्वड एरिया-	89.46 वर्गमीटर।
● प्रथम तल से पाचवे तल का टिपिकल कर्वड एरिया-	1745.22 वर्गमीटर।
● छठवे तल से सातवे तल का टिपिकल कर्वड एरिया-	1603.26 वर्गमीटर।
● बेसमेन्ट का कर्वड एरिया-	2876.15 वर्ग मीटर

2- भवन की ऊँचाई-23.300 मीटर।

कम्प्यूनिटी सेन्टर व शाप-

● भूतल का कर्वड एरिया-	67.37 वर्गमीटर।
● प्रथम तल से पाचवे तल का टिपिकल कर्वड एरिया-	64.53 वर्गमीटर।
● भवन की ऊँचाई-18.300 मीटर।	

भवन का अधिभोग एवं हैजार्ड श्रेणी-प्रश्नगत भवन का अधिभोग एन0बी0सी0 की आवासीय श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

ढाँचागत व्यवस्था -

- 1- पहुँच मार्ग-भूखण्ड के सामने मानचित्र मे-45.00 मी0 रोड की चौडाई है।
- 2- प्रवेश व निकास द्वार प्रत्येक की चौडाई-05.50 मी0 है, जो मानक के अनुसार है।
- 3- सेटबैक-भवन का सेटबैक निम्नवत हैं-

● अग्रभाग-	09.00 मीटर।
● पृष्ठभाग-	09.00 मीटर।
● पार्श्वभाग प्रथम-	07.00 मीटर।
● पार्श्वभाग द्वितीय-	07.00 मीटर।

उपरोक्त भवन का सेटबैक भवन निर्माण विकास उपविधि 2008 के प्रस्तर 3.4.5 के सब प्रस्तर 4 के अनुसार अनिवर्ती तल पर सेटबैक प्रस्तावित है जो विनियमावली के अनुसार है सेटबैक सदैव अवरोध मुक्त रखे जायेंगे। सेटबैक मे किसी प्रकार का स्थाई/अस्थायी निर्माण कार्य मान्य नहीं होगा।

4- निकास मार्ग-प्रस्तावित भवन में 06 स्टेयर केस प्रत्येक की चौड़ाई-01.50 मी० का प्राविधान किया गया है जिनकी फ्लोर के समस्त स्थानों से टेवलिंग डिस्टेंस अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत हैं।

5 -रिफ्यूज एरिया का विवरण-आवश्यक नहीं है।

अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था-नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इंडिया-2005 के अनुसार निम्नांकित अग्निशमन व्यवस्था पूर्ण की जानी अनिवार्य हैं।

1- भूमिगत टैंक-आवश्यक नहीं है।

2- पम्प-आवश्यक नहीं है।

3- होजरील-प्रस्तावित भवन के प्रत्येक तल पर होजरील लैण्डिंग वाल्व आई०एस०-3844 मानको के अनुसार प्राविधानित किया गया है।

4- डाउनकमर-प्रस्तावित भवन के मानचित्र में डाउनकमर सिस्टम एन०बी०सी०-2005 के मानको के अनुरूप है।

5- प्रस्तावित सम्पूर्ण भवन परिसर में यार्ड हाईड्रेंट्स होज कैबिनेट एवं उसमें डिलीवरी हॉज तथा ब्रांच पाइप एवं फायर सर्विस इन्लेट का प्राविधान आई०एस० 01339:1991 के अनुसार है।

6- हस्तचालित इलैक्टिक फायर एलार्म सिस्टम-मैनुवल आपरेटिड इलैक्टिक फायर एलार्म सिस्टम का प्राविधान एन०बी०सी० मानको के अनुसार है।

7- स्वचालित डिटेक्शन एण्ड एलार्म सिस्टम-आवश्यक नहीं है।

8- स्वचालित स्प्रिंकलर सिस्टम-भवन के बेसमेन्ट में आटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम का प्राविधान एन०बी०सी० मानको के अनुसार है।

9- टैरिस टैंक-भवन के टैरिस पर टैरिस टैंक-25000 ली० क्षमता का स्थापित कराया जाना आवश्यक होगा।

10- टैरिस पम्प-भवन के टैरिस पर 900 एलपीएम क्षमता का टैरिस पम्प का प्राविधान किया गया है।

11- प्राथमिक अग्निशमन उपकरण(फायर एक्सटिंग्यूशर)-भवन के प्रत्येक तल पर फायर एक्सटिंग्यूशर आई० एस० -2190 के अनुसार प्राविधानित है। जो मानको के अनुरूप है।


12- स्मोक एक्सटैक्शन सिस्टम-आवश्यक नहीं है।

13- एग्जिट साइनेज-सम्पूर्ण भवन में एग्जिट साइनेज प्राविधानित किये गये हैं।

14- पी०ए०सिस्टम-सम्पूर्ण भवन में पी०ए० सिस्टम की व्यवस्था प्राविधानित है।

अतः उपरोक्तानुसार अग्निशमन अधिकारी, गोमतीनगर, लखनऊ की संस्तुति के आधार पर खसरा नं०-783,784 व 791 ग्राम-सरसवा, सुल्तानपुर रोड, चिनहट जिला-लखनऊ में एम०आई० बिल्डर्स प्रा० लि० द्वारा उक्त स्थल पर प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग भवन को प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत किया जाता है कि आवेदक द्वारा भवन/ इकाई में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्रस्तावित अग्नि सुरक्षा व्यवस्था भवन विनियमावली तथा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया- 2005 में उल्लेखित मानको के अनुसार कराये जायेंगे तथा भवन के निर्माणोपरान्त भवन का प्रयोग करने से पहले भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थायें मानको के अनुसार भौतिक रूप से स्थापित कर उनका निरीक्षण/ परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर अन्तिम अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा। अन्यथा निर्गत किया जा रहा भवन निर्माण हेतु प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

संलग्नक: अनुमोदित मानचित्र।


02-03-2016
(ए०बी०पाण्डेय)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
लखनऊ

प्रतिलिपि:-

- 1- अग्निशमन अधिकारी, गोमतीनगर लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 2- मैसर्स एम०आई० बिल्डर्स प्रा० लि० गोमतीनगर लखनऊ को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।

